

## पारादीप पत्तन न्यास (शहरी योजना), विनियम 1974

महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963(1963 का 38), की धारा 123 (छ) (झ) (त) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पारादीप पत्तन का न्यासी बोर्ड निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

### 1. लघुशीर्ष और प्रारंभ:-

अ) ये विनियमों, पारादीप पत्तन न्यास (शहरी योजना) विनियम, 1974 कहलाएंगे।

आ) यह पारादीप पत्तन न्यास के पूरे मास्टर प्लान क्षेत्र तक फैला हुआ है और वे ऐसी तारीख या तारीखों पर लागू होंगे, जब केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकती है।

2. पारादीप पत्तन न्यास निम्नलिखित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एक मास्टर प्लान तैयार करेगा, अर्थात् :-

क) हटाना या भीड़भाड़;

ख) वस्तियों और शहरी अप्रचलन की निकासी;

ग) योजनायुक्त शहरी विस्तार;

घ) निचले और बंजर इलाकों का पुर्नउद्धार;

ङ) औद्योगिक इलाकों को आवासीय इलाके से अलग करना;

च) एक एकिकृत जल आपूर्ति योजना का प्रावधान;

छ) एक एकिकृत सडक योजना का प्रावधान;

ज) एक एकिकृत जल निकासी और मल निर्यास योजना का प्रावधान;

झ) महा नगरीय हरित बेल्ट के लिए प्रावधान;

ञ) निर्मित इलाकों में खुले जगहों के लिए प्रावधान;

ट) पडोश नियमों में आवासीय इलाकों का विकास;

ठ) खेल मैदान और बच्चों का पार्क सहित विभिन्न सामूदायिक आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त इलाकों का आरक्षण;

ड) प्राकृतिक सुविधाओं का उपयोग;

ढ) रुकावट या धज्जी -विकास और धज्जीगत सडक साईड भूमियों की वापसी;

- ण) उचित लैंड व्यवहार को बढ़ावा देना;
- त) शहरी विकास से संबंधित किसी अन्य बातें जिसके साथ स्वास्थ्य, आराम, सुविधा और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के आम सुविधा जुड़ा हो; और
- थ) पर्यावरण प्रदूषण का निवारण ।

### 3. मास्टर प्लान का प्रकाशन :-

पारादीप पत्तन न्यास मास्टर प्लान तैयार करने के तुरंत बाद राजपत्र में अधिसूचित करेगा कि योजना को विधिवत तैयार किया गया है और साइट प्लान में रुचि रखने वाले कोई भी व्यक्ति इसे निश्चित समय और स्थान पर देख सकता है तथा आपत्ति और सुझाव, यदि कोई हो, को उक्त अधिसूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर दर्ज कर सकता है । आपत्ति और सुझाव पर विचार करने के बाद न्यासी बोर्ड द्वारा ऐसी योजना के लिए आवश्यक संशोधन किया जा सकता है और बोर्ड द्वारा संशोधित या संशोधित होने तक संशोधित योजना को अंतिम माना जाएगा ।

### 4. पारादीप पत्तन न्यास मास्टर प्लान सुधार योजनाओं के ढांचे के भीतर तैयार करेगा और इस तरह की योजनाएँ निम्न में से किसी एक या दो प्रकार के संयोजन में से एक हो सकती हैं :-

- क) एक सामान्य सुधार योजना;
- ख) एक पुर्न-निर्माण योजना;
- ग) एक पुर्न-आवासीय योजना;
- घ) एक सडक योजना;
- ङ) एक स्थगित सडक योजना;
- च) एक विकाश योजना;
- छ) एक आवासीय घर योजना;
- ज) एक शहरी विस्तार योजना;
- झ) एक जल निकासी और मल -निर्यास योजना;
- ञ) एक जल आपूर्ति योजना एवं
- ट) अन्य कोई योजनाएं जोकि विचार के लिए आवश्यक हो ।

5. पत्तन न्यास विनियम -4 के अनुसार योजना तैयार करने के लिए एक यह एक से अधिक उप समिति का गठन करेगा और निर्देश देने वाले नियम बनाएगा, जोकि समय समय पर आवश्यक हो, ताकि न्यासी बोर्ड के अनुमोदन तक योजना को लागू किया जा सके